दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 07 मार्च 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 159

महत्वपूर्ण एवं खास

दो कारों की भिड़ंत में 13 की मौत

बैंगलुरू (आरएनएस)। कर्नाटक के तुमकुर जिले के कुनिगल तालुक के बाल्याडकेरे गांव के नजदीक में शुक्रवार तड़के 3 बजे दो कारों की भीषण भिड़ंत में 13 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार 12 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. भीषण सड़क हादसा हो गया है। दो कारों की टक्कर में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, कर्नाटक के तुमकुर में शुक्रवार तड़के दो कारों के बीच भीषण टक्कर में 13 लोगों की जान चली गई। 12 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, चार यात्री एक ब्रेज्जा कार में धर्मस्थल जा रहे थे, जो होसुर के रास्ते बेंगलुरु की ओर जा रही टवेरा कार से भिड़ंत हो गई। टवेरा में सवार यात्री तमिलनाडु के निवासी थे। पुलिस अधीक्षक के वी कृष्णा ने बताया कि 13 में से 12 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक बच्चे की मौत अस्पताल में हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

सरकार को अतिरिक्त खर्च के लिए चाहिए करीब 54 हजार करोड़

» अनुदान की पूरक मांग के तहत संसद से मांगी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने शुक्रवार को वर्ष 2019-20 की अनुदान की पूरक मांग के तहत 53,963 करोड़ रूपये के निवल नकद व्यय के प्रस्तावों के लिये संसद की मंजूरी मांगी। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्ष 2019-20 की अनुदान की पूरक मांगों के दूसरे बैच में 78 अनुदान मांगें और 4 विनियोग का प्रस्ताव रखा। इसके तहत 4.8 लाख करोड़ रूपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिये संसद से अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च 53,963 करोड़ रूपये है। मंत्रालयध्विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों या वसूलियों से 4.26 लाख करोड़ रूपये समतुल्य किया जायेगा।

लोकसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक मंजूर

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा ने शुक्रवार को हंगामे के बीच ही दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन में निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित होने के लिये रखा और सदन ने ध्वनिमत से इसे मंजूरी दे दी। संसद से मंजूरी के बाद यह विधेयक संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। सरकार का मनना है कि इससे अंतिम विकल्प वाले वित्तपोषण के संरक्षण से वित्तीय संकट का सामना कर रहे सेक्टरों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।इसके साथ ही कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने में होने वाली गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए व्यापक वित्तीय कर्जदाताओं के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई है ।

दिल्ली पुलिस में बड़े फेरबदल के संकेत

नईदिल्ली (आरएनएस)। हिंसा मामले में गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस पर सख्त कार्रवाई कर सकता है. दरअसल दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस की कई बड़ी कमियां सामने आई थीं जिसके बाद हर तरफ दिल्ली पुलिस का विरोध शुरू हो गया था. साथ ही गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस में बड़े फेरबदल के संकेत भी दिए हैं.

भारी बारिश के चलते एक ही परिवार के चार की मौत

अमृतसर (आरएनएस)। पंजाब के अमृतसर जिले के मुल चक इलाके में शुक्रवार को एक छत गिरने से एक परिवार के कम से कम चार सदस्यों की मौत हो गई. उनके घर की छत कथित तौर पर भारी बारिश के बाद गिर गई।

भारत पर मंडराया आर्थिक मंदी और स्वास्थ्य का खतरा

नई दिल्ली (आरएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि भारत पर इस समय तीन तरह का खतरा मंडरा रहा है। सामाजिक असमानता, आर्थिक मंदी और वैश्विक स्वास्थ्य समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि ये जोखिम न केवल भारत की आत्मा को तोड़ सकते हैं, बल्कि दुनिया में आर्थिक और लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में हमारी वैश्विक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

मनमोहन सिंह के एक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में देश के मौजूदा हालात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बड़े ही भारी मन से उन्होंने ये लिखा है। पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश में वर्तमान हिंसा को सही ठहराने के लिए इतिहास में हुई इस तरह की घटनाओं का जिक्र करना निरर्थक है। सांप्रदायिक हिंसा की हर घटना महात्मा गांधी के भारत पर धब्बा है। कुछ ही सालों में, उदार लोकतांत्रिक तरीकों से वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास का मॉडल बनने के बाद अब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा है।

ये बहुसंख्यकों को सुनने वाला देश बन गया है। उन्होंने लिखा कि ऐसे समय में जब हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, ऐसे सामाजिक अशांति का प्रभाव केवल आर्थिक मंदी को बढ़ाएगा। अब यह अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था का संकट वर्तमान में निजी क्षेत्र की ओर से किए गए नए निवेश की कमी के चलते है। निवेशक, उद्योगपति और कारोबारी नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए तैयार नहीं हैं।

कोरोना वायरस का किया जिक्र

मनमोहन सिंह ने लिखा, ‘सामाजिक व्यवधान और सांप्रदायिक तनाव केवल उनके डर और जोखिम को कम करते हैं। सामाजिक समरसता, आर्थिक विकास का आधार, अब संकट में है। निवेश में कमी का सीधा असर नौकरियों और आय पर होगा। आर्थिक विकास का आधार होता है सामाजिक सद्भाव, और इस समय वही खतरे में है। टैक्स दरों को कितना भी बदल दिया जाए, कॉरपोरेट वर्ग को कितनी भी सहूलियतें दी जाएं, भारतीय और विदेशी कंपनियां तब तक निवेश नहीं करेंगी, जब तक हिंसा का खतरा बना रहेगा। वहीं मनमोहन सिंह ने लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली में भारी हिंसा हुई। हमने बिना किसी कारण के करीब 50 भारतीय साथियों को खो दिया, सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। सांप्रदायिक तनाव की लपटें कुछ राजनीतिक वर्ग के साथ-साथ हमारे समाज के अनियंत्रित वर्ग की ओर से फैलाई गई। इसमें विश्वविद्यालय परिसर, सार्वजनिक स्थान और निजी घर निशाना बनाए गए। कानून-व्यवस्था से जुड़ी संस्थाओं ने नागरिकों की रक्षा का अपना धर्म छोड़ दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि इस तरह के मामलों पर लगाम की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से सामाजिक तनाव की आग देशभर में तेजी से फैल रही है और हमारे देश की आत्मा को टुकड़े-टुकड़े करने का खतरा पेश कर रही है। इसे वही लोग बुझा सकते हैं, जिन्होंने इसे भड़काया है।

सरकार दिये महत्वपूर्ण सुझाव

पूर्व प्रधानमंत्री ने सरकार को तीन सूत्री प्लान का सुझाव देते हुए बताया कि सरकार को अपनी सारी ताकत और कोशिश कोरोना वायरस को काबू करने पर लगा देने चाहिए। इसके लिए पर्याप्त तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, नागरिकता संशोधन कानून को बदला जाए, या वापस लिया जाए, जिससे राष्ट्रीय एकता बहाल हो। तीसरा, सटीक और विस्तृत वित्तीय योजना बनाई जाए।

होली के दिन सुबह से दोपहर तक बंद रहेंगी मेट्रो

नईदिल्ली (आरएनएस)। होली के त्योहार के दिन दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी सुबह से लेकर दोपहर तक बंद रहेंगी. इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एडवाइजरी जारी कर दी है. इसमें 10 मार्च को मेट्रो की सेवा बंद रहने के संबंध में जानकारी दी गई है।

डीएमआरसी की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि होली के त्योहार के दिन यानी 10 मार्च (मंगलवार) को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे तक सभी मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी. बता दें कि इस दौरान मेट्रो फीडर बस सेवाएं भी 10 मार्च को उपलब्ध नहीं होंगी. होली के दिन मेट्रो ट्रेन सेवाएं सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से 2:30

बजे शुरू होंगी और उसके बाद सामान्य रूप से जारी रहेंगी.

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बीते बुधवार को ही एडवाइजरी भी जारी की थी। इसमें मेट्रो ने कहा था कि वह कोरोना वायरस के मद्देनजर अपने परिसरों की साफ-सफाई की आवृत्ति बढ़ाएगी. डीएमआरसी ने विषाणु के संबंध में च्क्या करें, क्या न करेंज का परामर्श भी जारी किया है जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में है।

अब जम्मू एयर पोर्ट सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले

» अब इसके अंतर्गत आने वाले हवाई अड्डों संख्या 63 हुई

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने जम्मू हवाई अड्डे की सुरक्षा संभाल ली है। इस इकाई का नेतृत्व कमांडेंट रेंक का अधिकारी करेगा। इससे पहले सीआईएसएफ को पिछले महीने की 26 तारीख को श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस अवसर पर सीआईएसएफ हवाई अड्डा क्षेत्र के महानिरीक्षक वी.एस. मान मुख्य अतिथि थे। समारोह में सीआईएसएफ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी और एयरलाइन आपरेटर (एयर इंडिया, एयर एशिया, इंडीगो, स्पाइस जेट, गो एयर आदि) के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। समारोह के दौरान, जम्मू के हवाई अड्डा निदेशक डा. पी. आर. ब्यूरिया ने जम्मू हवाई अड्डे के कमांडेंट/सीएएसओ गुरजीत सिंह को चाबी की एक प्रतिकृति सौंपी जो सीआईएसएफ को सुरक्षा सौंपने का प्रतीक है। अपने संबोधन में मान ने हवाई अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों और साझेदारों के समन्वित प्रयास पर जोर दिया।

नायडू ने की संसद व विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की पैरवी

» राज्यसभा में बोले सभापति वेंकैया नायडू

नई दिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि महिलाओं को सेवा के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और राज्य विधानसभाओं तथा संसद में उनका अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (आठ मार्च) के पूर्व नायडू ने राज्यसभा में कहा कि महिलाओं द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के बावजूद लैंगिक समानता और महिलाओं की सुरक्षा अब भी उनसे दूर है।उन्होंने समाज की मानसिकता में बदलाव के साथ ही महिलाओं के लिए शैक्षिक, स्वास्थ्य और रोजगार के मौके मुहैया कराने पर बल दिया। नायडू ने कहा कि महिलाओं को राज्य विधानसभाओं और संसद में काम करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नायडू ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को सबको समान अधिकार और सबको सम्मान प्राप्त करने के लिए अहम माना था।

उन्होंने कहा कि आज, सभी क्षेत्रों में महिलाओं के उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के बाद भी लैंगिक समानता और महिलाओं की सुरक्षा दूर की चीज बनी हुयी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इसके लिए पुलिसिंग की गुणवत्ता बढ़ाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को दुरूस्त करने की जरूरत है। इसके साथ ही समाज की मानसिकता को बदलने की भी जरूरत है। उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारे देश की महिलाओं ने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उल्लेखनीय मौजूदगी दर्ज करायी है।

खनिज विधि संशोधन पर लोकसभा में लगी मुहर

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा में हंगामे के बीच खनिज विधि संशोधन विधेयक-2020 को मंजूरी दे दी गयी, जिसमें कोयला खदानों के पट्टे संबंधी नियमों एवं आवंटन संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है।

लोकसभा में शुक्रवार का हंगामे के बीच ही कोयला एवं खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विधेयक को पारित कराने के लिये आगे बढ़ाया और सदन ने ध्वनिमत से इसे मंजूरी प्रदान कर दी। जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा था कि यह एक

महत्वपूर्ण विधेयक है और इससे खनन एवं खनिज क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आयेगा। जोशी ने कहा था कि देश में कोयला की प्रचुर मात्रा होने के बावजद हमें इसका आयात करना पड़ता है।

इस विधेयक के पारित होने से कई प्रकार की बंदिशें समाप्त होंगी और इसलिये यह संशोधन लाया गया है। मंत्री ने कहा था कि चूंकि सदन में व्यवस्था नहीं है, इसलिये उन्होंने इसे बिना चर्चा कराये पारित कराने का अनुरोध किया था।

हालांकि बृहस्पतिवार को हंगामे के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका। यह विधेयक संसद से पारित होने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। इसके माध्यम से खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन का प्रावधान किया गया है।

नए मोटर वाहन कानून से छत्तीसगढ़ में कम नहीं हुए सड़क हादसे

नई दिल्ली (आरएनएस)। नए मोटर वाहन कानून के लागू होने के बाद सख्त प्रावधानों के कारण बेहद हल्ला मचाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार का दावा है कि इस कानून के लागू होने के बाद दुर्घटनाओं के कारण मरने वालों की संख्या में बड़े पैमाने पर कमी आई है।

हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क हादसों या मौतों में कोई कमी नहीं देखी गई। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इसके चलते हादसों में मौत का आंकड़ा बेहद कम हुआ है।

हालांकि इस दौरान छत्तीसगढ़ में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। लोकसभा में सरकार से पूछा गया था कि क्या नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद उसने इसके बारे में किसी तरह का फीडबैक हासिल किया है। जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार को कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नए कानून के संबंध में कई फीडबैक भेजे हैं।

इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चर्स (सियाम) और बस एंड कार ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीओसीआई) जैसे कई संगठनों ने भी इसे लेकर सरकार के साथ अनुभव साझा किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले डाटा का विश्लेषण करने पर दुर्घटनाओं के कारण मरने वालों की संख्या में कमी की बात सामने आई है। बता दें कि नया कानून लागू होने के बाद दुपहिया वाहन पर हेलमेट और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई थी, जिसके चलते इन दोनों सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग करने वालों की संख्या में बेहद इजाफा हुआ है।

भूमि अधिग्रहण रद्द का दबाव नहीं बना सकते मालिकः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। भूमि अधिग्रहण कानून पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा लेने से इंकार वाले जमीनों के मालिक अधिग्रहण रद्द करने का दबाव नहीं बना सकते। ये फैसला जस्टिस अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने सुनाया। दरअसल ये फैसला इससे पहले अलग अलग सरकारों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण पर प्रभाव डालेगा। भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के पुराने कानून में किसी भी सरकारी उद्देश्य के लिए अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल कर सरकर भूमि अधिग्रहित कर लेती थी। नए कानून में इसे सीमित कर दिया गया है। सरकार 2013 के नए कानून में केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा या संसद द्वारा मान्य अन्य किसी आपात स्थिति में ही अर्जेंसी क्लॉज के माध्यम से जमीन ले सकती है। इन श्रेणियों के तहत ली जाने वाली जमीन के लिए लोगों की स्वीकृति और एसआईए जरूरी नहीं है। अगर पांचवी या छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में इस तरह का अधिग्रहण होता है तो ग्रामसभा अथवा स्वायत्त परिषद की स्वीकृति जरूरी है। नया कानून कई फसलों वाली सिंचित जमीन का अधिग्रहण भी रोकता है।

आईएफएस अनुराग श्रीवास्तव हो सकते हैं विदेश मंत्रालय के अगला प्रवक्ता

» लेंगे रवीश कुमार की जगह

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के अनुराग श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता के रूप में रवीश कुमार का स्थान लेंगे। वह अगले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंगे। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है।

श्रीवास्तव वर्तमान में इथियोपिया और अफ्रीकी संघ में भारतीय राजदूत हैं। अनुराग श्रीवास्तव 1999 बैच के अधिकारी हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार आज शाम तक प्रवक्ता के नाम का ऐलान कर सकती है। कहा जा रहा है कि रवीश कुमार को क्रोएशिया में भारत का नया

राजदूत नियुक्त किया जा सकता है। इथियोपिया में राजदूत के रूप में अपना कार्यभार संभालने से पहले अनुराग श्रीवास्तव ने एमईए के वित्त प्रभाग का नेतृत्व किया था, उन्हें मंत्रालय के लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक बजट को संभालने का काम सौंपा गया था।

श्रीवास्तव ने कोलंबो में भारतीय उच्चायोग में राजनीतिक विंग का भी नेतृत्व किया है। रवीश कुमार चार अगस्त 2017 से प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उन्होंने गोपाल बागले की जगह ली थी। 49 वर्ष के रवीश कुमार को सरकार यूरोप में राजदूत की जिम्मेदारी सौंप सकती है।

विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता का पद संभालने से पहले रवीश कुमार जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में काउंसल जनरल थे। वह साल 1995 के बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। बतौर राजनयिक उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय मिशन के साथ की थी। इसके अलावा वह भूटान की राजधानी थिम्पू और ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी तैनात रहे हैं।

राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बीदर स्कूल मामले में दर्ज राजद्रोह के आरोपों को रद्द करने को लेकर दायर याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बता दें कि बीदर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ एक नाटक के लिए स्कूल प्रशासन, शिक्षक और माता-पिता के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।

बता दें कि इस याचिका में सरकारी तंत्र द्वारा राजद्रोह कानून के कथित दुरुपयोग के निपटने के लिए उचित प्रणाली बनाने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उचित प्राधिकार के पास जा सकते हैं।

कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील उत्सव सिंह बैंस से कहा कि वह कथित तौर पर छात्रों को सीएए और एनआरसी के विरोध में नाटक के मंचन की अनुमति देने के लिए कर्नाटक के एक स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ दायर राजद्रोह के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध नहीं कर सकते। बैंस ने पीठ से कहा कि वह प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध नहीं कर रहे है।